संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/21-22/007/5964 दिनांक: 02.12.2021

सेवा में,
श्री असगर अली
पुत्र श्री अकबर अली
ग्राम –भगवंत नगर,
तहसील –स्वार, जनपद –रामपुर-244924
उत्तर प्रदेश

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 02.11.2021 के संबंध में

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 02.11.2021 का क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
1.	400 के०वी० बरेली –काशीपुर लाइन का निर्माण कार्य 2013-2015 के मध्य हुआ, उसके अंतर्गत टावर लोकेशन संख्या 42/3, 43/0 के मध्य अब तक जिन लोगों को मुआवज़ा दिया गया है उनका नाम, पिता का नाम, पता, मुआवज़े की धनराशी का विवरण उपलब्ध कराएं।	आपके द्वारा मांगी गई सूचना वांछित प्रारूप में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, मांगी गई उक्त लोकेशन संख्या में प्रत्येक किसान को प्राप्त मुआवज़ा राशि एवं अन्य विवरण तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आपके द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने में असमर्थ है।
2.	ग्राम –भगवंत नगर तहसील-स्वार जनपद –रामपुर की गाटा संख्या-325 के मुआवज़े का भुगतान किसे किया गया।	पावरग्रिड द्वारा दी गयी मुआवज़ा सम्बंध नोटिस की प्रति उपलब्ध करायें, जिससे वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:
श्री आर० नागपाल
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,

राणा प्रताप
02.12.21

[राणा प्रताप]
महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड , लखनऊ